राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आ.प्र.सहा.एवं ना.सु.),जालोर

कमांकः प.10( ) आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2023/ 1022 दिनांकः– 14.06.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

जिले में मानसून वर्ष 2023 में जलभराव/बाढ़ की संभावना को देखते हुए जन–धन के बचाव एवं राहत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक श्री निशान्त जैन, जिला कलक्टर महोदय, जालोर की अध्यक्षता में दिनांक **13.06.2023 को प्रातः 11:00 बजे** कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। उपरिथति विवरण परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

बैठक में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक एफ.8(1)आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2022/710–722 दिनांक 06.06.2023 के जरिये प्राप्त निर्देशानुसार निम्न विभागवार उचित प्रबंधन एवं तत्काल क्रियान्विति हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश जारी किये।

1–नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना :–

बाढ एवं अतिवृष्टि से निपटने के लिए जिला मुख्यालय के सभी संबंधित विभाग अपने–अपने कार्यालय में दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर 2023 तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेंगे। साथ ही तहसील मुख्यालय पर भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करें तथा नियंत्रण कक्ष को अपने स्तर से सुचारू रूप से 24 घण्टे राउण्ड–दी–क्लॉक संचालित रखेंगे।

2–विभागवार कार्य योजना :–

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्न विभागों को अपने–अपने विभाग से संबंधित कार्यो को तत्परता से करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

(1) जल संसाधन खण्ड जालोर :–

प्लान में दिये गये स्थानों/बांधों पर पर्याप्त मात्रा में रेत के कट्टे 20 जून 2023 तक रखवाना सुनिश्चित करें। जिले के सभी बांधों के गेट्स में आयलिंग एवं ग्रीसींग का कार्य 20 जून से पूर्व पूर्ण करवाया जावें साथ ही बांधों के लिकेज/डेमेज का निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत का कार्य दक्ष टेक्नीशीयन से करवाया जावें ताकि आपातकालीन स्थिति में किसी समस्या का सामना नही करना पड़े। साथ ही बांध की सुरक्षा दिवारों का निरीक्षण कर डेमेज/लिकेज पाया जाये तो नियमानुसार मरम्मत की कार्यवाही अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें। जिले के मानचित्र में बाढ से प्रभावित क्षेत्रों, बांधों एवं बाढ से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रभावित होने वाले ग्रामों का विवरण अंकित करते हुये एक प्रति जिला कार्यालय तथा उपखण्ड वाईज प्रति तैयार कर संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जावें ।

जिले के समस्त प्रमुख बांधों पर 20 जून से पूर्व वायरलेस की जांच पुलिस विभाग से करवाकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें। बांधों के भरने के समय पल–पल की जानकारी जिला कलेक्टर एवं नियंत्रण कक्ष को दी जावें। नावों को चलाने के लिए जानकार नाविकों के बारे में विभाग के स्तर से जानकारी प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पडने पर उनका उपयोग हो सके। जिला परिवहन अधिकारी नावों की फिटनेस के बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित करेगे। कन्टीजेन्सी प्लान की एक प्रति जिला नियंत्रण कक्ष एवं उपखण्ड अधिकारियों को भिजवाना सुनिशिचित करेंगे। बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों को कार्य स्थल पर तैनात किया जावें साथ ही बांध सुरक्षा प्रमाण–पत्र 20 जून 2023 तक जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर को प्रस्तुत किया जावें कि सारे बांधों के गेट में ऑयलिंग/ग्रीसिंग एवं गेट चैक कर दिये गये हैं व सभी गेट सही पाये गये हैं। गेट खोलने वाले कर्मचारी के नाम, मोबाईल नम्बर तहसील कार्यालय में होने चाहिये साथ ही गेट की चाबी **सार्वजनिक** कार्यालय में रखी होनी चाहिये। बांध पर रेत के भरे हुए कट्टे की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करें।

जल संसाधन विभाग ऐसे समस्त ग्रामों व शहरों के Low Lying Areas का चिन्हिकरण करें, जिनमें अधिक वर्षा होने पर प्रायः जनधन व्यापक रूप से प्रभावित होता हैं। समस्या से ग्रस्त शहरो/ग्रामों की चिन्हित बस्तियां /स्थानों मे अधिक वर्षा होने की स्थिति में पैदा होने वाली समस्याये तथा प्रभावित होने वाले जन धन के सम्बन्ध मे Shelf Of Project तैयार किया जावें तथा उसकी Technical Viability रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकताए निर्धारित करके वित्तीय प्रावधान निर्धारण करेंगे। अत्यधिक वर्षा/बाढ से जो पानी एकत्रित होता हैं, उसकी निकासी व उसके उपयोग के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जावें। साथ ही मानसून के पहले एनिकट एवं चैक डेम का निरीक्षण करें एवं जहां कही बांध/एनिकट क्षतिग्रस्त हो उसकी आवश्यक मरम्मत करावें। तथा रेस्क्यू टीम एवं एर्यर फोर्स के दूरभाष नम्बर पता कर अपने पास रखे ताकि आवश्यकता पडने पर उपयोग किया जा सके । अपने–अपने

Scanned with CamScanner

विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग जालोर :–

जिले की प्रमुख नदीयों से गुजरने वाली मुख्य सडको पर नदियों में बहाव के दौरान कर्मचारियों को तैनात करेंगे ताकि तेज बहाव के दौरान वाहनों को नदियों में प्रवेश से रोका जा सकें एवं मय चैन/मजबूत रस्सा व उसके बीच में बोर्ड (संभावित खतरे की जानकारी के प्रतीक चिन्ह) लगाये जावें। तहसील/उपखण्ड तथा ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोडने वाली समस्त सड़कों/रपटों को क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में अभी से विभागीय बजट अनुसार रख–रखाव करेंगे। भारी मशीनरी क्रेन, गैस कटर, जे.सी.बी. एवं उनके चालक के मोबाईल एव लेंड लाईन फोन नम्बर आदि की जानकारी एवं सूची तैयार रखेगें ताकि आवश्यकता के समय उनका उपयोग किया जा सकें। तूफान/बाढ/अतिवृष्टि के दौरान सडको के किनारे पर खडे वृक्ष गिरने से अवरूद्व होने वाले मार्गो से पेड तत्काल हटवाकर आवागमन बनाये रखेगे। ऐसे क्षतिग्रस्त जर्जर सार्वजनिक/सरकारी भवन को चिन्हित किया जावे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये हैं तथा वर्षाकाल में गिर सकते हैं उनकी मरम्मत करवाना सुनिश्चित करें एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर ऐसे भवनों की सूची बनाई जाकर उसको खाली कराने की कार्यवाही की जावें।

अधीक्षण अभियन्ता, सा0नि0वि0 जालोर को जिले के समस्त राजकीय भवनों की छतों की सफाई का कार्य करवाने, पुराने बांधों की स्थिति का जायजा लेने एवं ऐसे स्थान जहां पानी इक्कठा होता हैं, वहां पर सफाई रखने एवं ग्रेनाईट फेक्ट्रीयों में उपलब्ध क्रेन व जे.सी.बी की आवश्यकता पडने पर उपलब्ध हो, संबंधित संस्था से सम्पर्क बनाये रखने बाबत् निर्देशित किया गया। साथ ही 20 जून 2023 तक यह प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर में प्रस्तुत करेगें कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। ऐसे सभी मार्गो, रपटो की सूची बनाए जो पिछली बाढ़ के कारण सम्पर्क से कट गये हों । साथ ही वैकल्पिक रास्ता अभी से चिन्हित करके रखे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐसे समस्त ग्रामों व शहरों के Low Lying Areas का चिन्हिकरण करें, जिनमें अधिक वर्षा होने पर प्रायः जनधन व्यापक रूप से प्रभावित होता हैं। समस्या से ग्रस्त शहरो/ग्रामों की चिन्हित बस्तियों /स्थानों में अधिक वर्षा होने की स्थिति में पैदा होने वाली समस्याये तथा प्रभावित होने वाले जन धन के सम्बन्ध में Shelf Of Project तैयार किया जावें तथा उसकी Technical Viability रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित करके वित्तीय प्रावधान निर्धारण करेंगे। अत्यधिक वर्षा/बाढ़ से जो पानी एकत्रित होता हैं उसकी निकासी व उसके उपयोग के सम्बन्ध में कार्य योजना तैयार की जावें। अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

(3) विद्युत विभाग :–

विद्युत विभाग अभी से जिले की समस्त विद्युत लाईनों, लूज वायरिंग, ट्रासफार्मर्स का फिल्ड स्टॉफ के माध्यम से 20 जून 2023 से पूर्व चैक–अप करवायेगें तथा जहां–जहां रख रखाव की आवश्यकता हैं, ठीक करवायेगें ताकि विद्युत आपूर्ति बांधित नहीं रहे। अपने विभाग का प्लान तैयार करवायेंगें, जिसमें समस्त प्रकार की गतिविधियों का समावेश करेंगे तथा किस–किस क्षेत्र के लिये कौन अधिकारी प्रभारी रहेगा, उनके टेलीफोन नम्बर, मोबाईल टीमों का गठन सभी जानकारी जिला कार्यालय को एवं अपने विभागीय नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे और विभाग के आवश्यक नम्बरों को सुलभ स्थानों पर लिखवाया जावे ताकि जन–समान्य को आवश्यकता पडने पर संपर्क कर सके। फिल्ड स्टॉफ को आपदा के दौरान फिल्ड में ही रहने हेतु पाबंद करेंगे ताकि विद्युत संचार में गतिरोध की स्थिति मे किसी भी प्रकार की जन–धन की हानि को रोका जा सके। आंधी तुफान के समय क्षतिग्रस्त विद्युत लाईनो की तत्काल मरम्मत को प्राथमिकता देगें, क्योंकि विद्युत का सीधा संबंध पेयजल व्यवस्था से जुडा होता हैं। अतः विद्युत की आपूर्ति न होने के कारण पेयजल प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भी स्थान पर ट्रांसफार्मर्स की शिकायत प्राप्त होने पर अधिकतम 72 घन्टों में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

विद्युत तारों से होने वाली घटना को ध्यान में रखते हुये ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें की जिले में ऐसी कोई घटना घटित न हो इस बात को ध्यान में रखते हुये आवश्यक इन्तजामात सुनिश्चित करेंगे। 20 जून 2023 तक यह प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर में प्रस्तुत करेगें कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

(4) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग :–

आपदा के दौरान पेयजल व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विभाग का प्लान तैयार करेंगे। जिसमें आवश्यक सामग्री की उपलब्धता तथा उसके स्टॉक स्थल की जानकारी तथा पेयजल व्यवस्था के लिये प्रभारी अधिकारी/कर्मचारी का पूर्ण नाम, टेलीफोन नम्बर वगैरह का विवरण अंकित हो। जिले के प्लान की जिला कार्यालय को प्रति भिजवाते हुये एक प्रति संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को भी भिजवाई जावें। आपदा के दौरान आम जनता को शुद्व पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें तथा पानी के शुद्धिकरण की आवश्यक व्यवस्था करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरिन टैबलेट आदि दवाओं की पूर्ण पूर्ति रखेंगे। पेयजल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पेयजल परिवहन कर आम जनता को पानी उपलब्ध करायेगें, इस हेतु उनके पास उपलब्ध वाटर टैंकर का भी उपयोग कर सकेंगे और आवश्यकता की स्थिति में नियमानुसार किराये के वाटर टैंकर हायर करके भी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित

Scanned with CamScanner

करेंगे। बाढ के दौरान नदियों में उपलब्ध वाटर पाईन्ट को अभी से चिन्हित करेंगे तथा उसके प्रभावित होने की स्थिति में किन–किन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति बाधित होगी उसकी पूर्ण जानकारी रखेंगें तथा इन पाईन्ट की जानकारी जिला कार्यालय तथा उपखण्ड कार्यालयों को भी उपलब्ध करवायेगें। शहरी क्षेत्रों में पाईप लाईन के पास नालो की साफ–सफाई नगर परिषद व नगर पालिका के सहयोग से करावें, साथ ही नालो के पास स्थित पाईप लाईनो के सभी लिकेजेज को तुरंत ठीक किया जाए। ओपन ट्यबवेल की सुरक्षा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।

जनरेटर सेट एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे नई बिछाई गई पाईप लाईनों का एक वर्षा के पश्चात भौतिक सत्यापन करेंगे ताकि उनके क्षतिग्रस्तता की स्थिति का पता लग सकेगा एवं तदनुसार उसमें सुधार की कार्यवाही करेंगें। शहरी क्षेत्रों में जगह–जगह पर स्थित पानी के वॉल पाईन्ट पर भी कोई प्रतीक चिन्ह लगायेंगे ताकि पानी के अधिक बहाव के दौरान आम व्यक्ति को उसकी जानकारी रहेगी एवं किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। 20 जून 2023 तक यह प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर में प्रस्तुत करेंगे कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

(5) चिकित्सा विभाग :–

जिले के कन्टीजेन्सी प्लान में विभाग से संबंधित समस्त जानकारियों का समावेश किया जावें तथा उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करवायें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर मोबाईल टीमों का गठन कर उसमें पर्याप्त स्टॉफ एवं दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। एंटी वेनम इन्जेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिले के समस्त सी.एच.सी./पी.एच.सी. स्तर पर दवाईयो की आपूर्ति अभी से सुनिश्चित करेंगे, यदि दवाईयों की कमी हैं, तो चिकित्सा विभाग राज. जयपुर को मांग भिजवाकर दवाईयों की आपूर्ति को बनाये रखने के लिये व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें। जलदाय विभाग से सामन्जस्य स्थापित कर पेयजल शुद्धता की समय–समय पर जांच भी करवायेंगे एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बनाये रखने के लिये क्लोरिन टेबलेट पर्याप्त मात्रा रखेगें। एम्बुलेन्स को सही हालात में रखना सुनिश्चित करेंगे, ताकि आवश्यकता पडने पर किसी कठिनाई का सामना नही करना पड़े। समस्त फिल्ड स्टॉफ को मुख्यालय पर ही रहने के लिये पाबंद करेंगे। एम्बुलेंस की आवश्यकता पडने पर उनके साथ डॉक्टर व कम्पाउण्डर/नर्स को भी भेजा जावें। आबादी में जल भराव वाले क्षेत्रों में मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिये MLO का पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर को ग्रामीण स्तर पर वर्षा जनित बिमारियों की रोकथाम के लिये आवश्यक निर्देश दिये गये। 20 जून 2023 तक यह प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर में प्रस्तुत करेंगें कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

(6) पुलिस विभाग :–

पुलिस प्रशासन को आकस्मिक व्यवस्था संभालने व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये प्रशासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। पुलिस विभाग के वायरलेस सेटों को हमेशा ही कार्यशील रखा जावेगा तथा सिंचाई विभाग के वायर–लेस सेटों को भी कार्यशील रखने एवं आवश्यकता पडने पर पुलिस विभाग से सम्पर्क मे रहने के निर्देश दिये गये। तैराकों की सूची तथा बाढ बचाव के लिए आवश्यक सामग्री की सूचना जिला कार्यालय को भिजवायेंगे। बाढ/अतिवृष्टि/वर्षा की जानकारी वायरलेस सेट से जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करवाने हेतु प्रत्येक थानाधिकारियों को पाबंद करेंगे। सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, एन.सी.सी. एवं होमगार्ड के अधिकारी बाढ की स्थिति बनने को ध्यान में रखते हुये अपने संसाधनों सहित हर समय तैयार रहे ताकि आवश्यकता पडने पर उनकी सेवा ली जा सके।

अति. पुलिस अधीक्षक जालोर द्वारा जिले का कन्टिजेन्सी प्लान अपडेट करने, जिले में एस.डी.आर.एफ./ एनडीआरएफ टीम को बुलाने एवं जिला प्रशासन स्तर से सेना, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से सम्पर्क करने एवं सिविल डिफेंस टीम को तैयार रखने हेतु आवश्यक सुझाव दिये गये।

(7) रसद विभाग :–

जिला रसद अधिकारी, जालोर को जिले में समस्त राशन की दुकानों पर वर्षा से पूर्व खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विशेषतः जिले में आगामी 4 माह की खपत को ध्यान में रखकर खाद्यान्न, पी.ओ.एल., गैस, आदि की आपूर्ति करेंगे। जिले के समस्त पेट्रोल पम्प पर पी.ओ.एल. तथा गैस एजेन्सी के माध्यम से एल.पी.जी. गैस को रिजर्व करवायेंगे ताकि आपदा के दौरान रिजर्व स्टॉक का उपयोग किया जा सकें। बाढ/अतिवृष्टि के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था एन.जी.ओ./दानदाताओं, समाजसेवी संस्थाओ/ भामाशाहो से सहयोग प्राप्त कर व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे, इस हेतु अपने फिल्ड स्टॉफ का सहयोग लिया जावें। फूड पैकेट बनाने वालो को भी अभी से चिन्हित करके रखा जावें।

उपखण्ड स्तर पर भी उपरोक्त बिन्दूओं पर पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिले में आपदा होने या पडौसी जिलो में आपदा होने पर भी उनकी सेवाएं ली जाने की सभावना को ध्यान में रखते हुये तैयारी रखेंगे। 20 जून 2023 तक यह प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर

Scanned with CamScanner

में प्रस्तुत करेगें कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है ।

(8) पशु पालन विभाग :–

पशु पालन विभाग मृत पशुओं के निस्तारण की कार्यवाही स्थानीय निकाय यथा नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत से सहयोग प्राप्त कर सुनिश्चित करेंगे एवं विकास अधिकारी से सम्पर्क बनाये रखेगें। चिकित्सा विभाग की भांति मोबाईल टीम का गठन करेंगे, जिसमें पर्याप्त स्टॉफ एवं दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित हो। जिले में पशुओं के लिये दवाईयों की आपूर्ति समस्त चिकित्सा केन्द्रो तथा जिला मुख्यालय पर उपलब्ध हो। दवाईयों की कमी होने की स्थिति में अपने विभाग को प्रस्ताव भिजवाकर आपूर्ति को बनाये रखेंगे। बाढ़/अत्यधिक वर्षा से जलभराव की स्थिति में प्रभावित होने वाली गोशालाओं को चिन्हित कर पशुओं को बचाने की योजना तैयार करेगें। 20 जून 2023 तक यह प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर में प्रस्तुत करेगें कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमें प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

(9) वन विभाग :–

उप वन संरक्षक, जालोर जिले के स्नेक केचर के मोबाईल नम्बर अपने पास रखेंगे तथा आवश्यकता पडने पर संबंधित को अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु पाबन्द करेंगे।

(10) परिवहन विभाग :–

जिले में उपलब्ध निजी ट्रक, ट्रेक्टर, भारी वाहनों यथा क्रेन, जे.सी.बी. आदि की सूचियॉ जिसमें वाहन संख्या, मालिकों के नाम मय पूर्ण पता, टेलीफोन विवरण सहित तैयार कर एक प्रति जिला कार्यालय तथा संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को भिजवाना सुनिशिचित करेंगे। आपदा के दौरान वाहन अधिग्रहण की स्थिति में जिला प्रशासन/उपखण्ड अधिकारियों का सहयोग करेंगे। जिले में विभिन्न ठेकेदारों के पास उपलब्ध नोकाओं की जांच करवाकर उनका फिटनेस जारी करके उनकी सूची इस कार्यालय व तहसीलदारगण को तत्काल भिजवायेगें। जिले के आस पास के जिलों के परिवहन अधिकारी से समन्वय कर उनके क्षैत्राधिकार में स्थित नोकाओं व उनके मालिक संचालक की सूची प्राप्त कर तहसीलदार को उपलब्ध करवायेगें।

(11) जिला परिषद/शिक्षा विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग :–

1– बाढ/अतिवृष्टि की स्थिति में स्कूलों में पढने वाले एवं छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

2– क्षतिग्रस्त शाला भवनों/छात्रावासों की वर्षा से पूर्व सूची तैयार की जाकर उनके मरम्मत के प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग से बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे तथा मानसून से पूर्व आवश्यक मरम्मत करवायेंगे।

3– आपदा के दौरान शाला भवनों के उपयोग करने के लिये शालाओं की चाबियों को ग्राम सेवक/पटवारी द्वारा मांगने पर तत्काल उपलब्ध करवायेंगे।

4– फिल्ड स्टॉफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पांबद करेंगे ताकि आपदा के दौरान आवश्यकता पडने पर उनकी सेवाये भी ली जा सकेगी।

5– बाढ/अतिवृष्टि की गंभीर स्थिति के दौरान स्कूलों/छात्रावासो में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे तथा परिस्थिति को देखते हुये आवश्यकतानुसार स्वविवेक से निर्णय लेगें। ऐसी कार्यवाही करने हेतु संस्था प्रधानो को निर्देशित करेंगे।

6– पंचायती राज विभाग आवश्यकता पडने पर लोगो को इवेक्यूट कर एक जगह रखने के लिये भवन की सूची बनायेगा।

7– पंचायती राज विभाग सभी पंचायतों में नाले–नालियों की सफाई करवाएगा।

8– प्राचार्य, वीर वीरमदेव राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय व राजकीय महिला महाविद्यालय के एन.सी.सी. कैडेटो, एन.एस.एस. वॉलेन्टियर्स को बाढ के दौरान जन साधारण को सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित करेंगे इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक) अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों, एन.सी.सी. कैडेट्स, स्काउट्स–गाईड एवं एन.एस.एस वॉलेन्टियर्स को बाढ के दौरान आने वाली आपदा के समय की जाने वाली सहायता/सहयोग सम्वन्धी प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करे एवं उन्हें हर समय तैयार रहने हेतु निर्देशित करें। प्रशिक्षण करवाकर सूची भिजवाई जावें।

9– जिले में पंचायती राज के अधीन आने वाले समस्त बांधों/तालावों का मानसून पूर्व निरीक्षण करवाकर लिकेंज/डेमेज पाये जाने की स्थिति में विभागीय बजट की उपलब्धता के अनुसार तत्काल मरम्मत करवाने तथा बांधों पर रेत से भरे कटे पर्याप्त मात्रा में तैयार रखने के निर्देश दिये गये ।

10– जिले में स्थित समस्त राजकीय छात्रावासों को आपदा की स्थिति में तैयार रखने हेतु छात्रावास अधीक्षक को पावन्द करने हेतु निर्देशित किया कि सम्वन्धित पटवारी या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आपदा की स्थिति में व्यक्तियों को ठहराने हेतु भवन की मांग करने पर तत्काल उपलब्ध करवाया जावें। साथ ही वहां के चौकीदार एवं छात्रावास अधीक्षक के मोबाईल नम्बर सहित सूची सम्वन्धित उपखण्ड व जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष में भी आवश्यक रूप से भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner

(12) **स्काउट :–**

सी.ओ. स्काउट को राजकीय महाविद्यालय के एन.सी.सी.कैडेटो/एन.एस.एस. वॉलेन्टियर्स/स्काउट वॉलेन्टियर्स को बाढ/अतिवृष्टि के दौरान जन साधारण को आपदा राहत सामग्री का वितरण तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देश दिये गये।

(13) उप समादेष्ठा, होमगार्ड :–

बाढ एवं अतिवृष्टि के दौरान नागरिक सुरक्षा हेतु होमगार्ड की टीम को तैयार रखना, बाढ एवं अतिवृष्टि के दौरान पानी में से व्यक्तियों को निकालने हेतु होमगार्ड के तैराक व आवश्यक सामान एवं लाईफ जैकेट की व्यवस्था करना। साथ ही तैराक/गोताखोरों के मोबाईल नम्बर सहित सूची शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये।

(14) रोडवेज :–

आगार प्रबन्धक,जालोर को वर्षा के दौरान नदियों में पानी का अत्याधिक वहाव होने की स्थिति में रोडवेज की बसों को उसमें प्रवेश नही करने के लिए चालक/परिचालक को पाबंद करनें तथा यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं अपने वर्कशाप को चालू रखने के निर्देश प्रदान किये गये।

(15) दूरसंचार विभाग :–

वर्तमान समय में टेलीकॉम व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये टेलीफोन विभाग अभी से विभागीय उपकरणों के रख–रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। टेलीफोन व्यवस्था के लिये आवश्यक सामग्री की जानकारी जिला कार्यालय तथा उपखण्ड अधिकारियों को देंगें ताकि आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जायेगा। तकनीकी स्टॉफ को हमेशा तत्पर रहने हेतु पाबंद करेगें । जिन गांवों में मोबाइल नेटवर्क नही आता हैं उन गांवों की सूची सभी उपखण्ड अधिकारी बीएसएनएल के माध्यम से एकत्रित करेगें और वायरलेस सेट के माध्यम से सम्पर्क स्थापित करवाने का प्रयास करेंगे।

(16) **नगर निकाय :–**

जिला कलक्टर महोदय जालोर द्वारा आयुक्त नगर परिषद, जालोर एवं अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका भीनमाल/सांचोर/रानीवाडा को निम्नानुसार निर्देश दिये –

1– नगर पालिका क्षेत्रों में नालों/नालियों आदि की सफाई विशेष अभियान के रूप में 15 जून से पूर्व करवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि वर्षा के दौरान नालों एवं नालियों में अवरोध उत्पन्न नही हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेगें ।

2– शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी प्रकार के संक्रामक रोग के उत्पन्न होने से बचाया जा सकें ।

3– शहरी क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रभावित होने की स्थिति में रेन बसेरा में ठहराने, भोजन आदि की व्यवस्था जन सहयोग तथा नगर पालिका प्रशासन के स्तर पर सुनिश्चित करेंगे ।

4– स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगरपालिकाओं को जारी दिशा निर्देश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे ।

(17) उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी पं.स. :–

जिला कलक्टर महोदय जालोर द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारो एवं विकास अधिकारियों को अत्यधिक वर्षा एवं बाढ की स्थिति के दौरान बचाव एवं राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1– बाढ/अतिवृष्टि के दौरान उपखण्ड अधिकारी तथा विकास अधिकारी/ तहसीलदार /आयुक्त नगर परिषद/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अपने–अपने क्षेत्र की आपदाओं की पूर्ण जानकारी रखेंगे तथा आम जनता को पूर्ण सहयोग देना सुनिश्चित करेंगे एवं राहत संबंधी समस्त गतिविधियों के लिये जिम्मेदार होंगे।

2– कन्टीजेन्सी प्लान के अनुसार ही समस्त प्रकार की राहत गतिविधियों के लिये जिम्मेदार रहेंगे तथा अपने–अपने क्षेत्र के संबधित विभागों से पूर्ण समन्वय स्थापित कर उनकी सेवाये लेना सुनिश्चित करेंगे।

3– आपदा के दौरान वाहन आदि अधिग्रहण के लिये उपखण्ड अधिकारी अधिकृत रहेगें, लेकिन अधिग्रहण विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर महोदय की जानकारी में लाकर ही करेंगे।

4– प्रभावित को राहत देने संबंधी जिला कार्यालय के पूर्व निर्देशानुसार तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्र के प्रभावितों की रिपोर्ट तैयार कर आश्रित के एसएसओ आई से डीएमआईएस पोर्टल से ऑनलाईन आवेदन पत्रादी अपलोड करवाकर अपनी स्पष्ट अनुशषा सहित प्रकरण तत्काल जिला कार्यालय को भिजवायेगें।

5–सभी उपखण्ड अधिकारियों को उपखण्ड स्तर पर आपदा प्रबन्धन एवं बाढ बचाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये ।

6– उपखण्ड अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र एन.एच. (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के अधिकारियों के साथ हाईवें पर निर्मित पूलों के आस–पास अवरोध जल प्रवाह मार्ग का निरीक्षण करगें एवं खुलवायेगें। इसके साथ ही अपने–अपने क्षेत्र की आपदा प्रबन्धन योजना बनाकर शीघ्र जिला कार्यालय को उपलब्ध करवायेगें ।

7– तहसीलदारगण/विकास अधिकारी पटवारियों एवं ग्राम सेवकों को अपने अपने मुख्यालय पर रहने हेतु पाबंद करेगें एवं अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर नदी/नालों/तालाबों के आस–पास अथवा अन्दर किये गये अतिकमणों को अविलम्ब ही हटवाकर पालना रिपोर्ट सात दिवस की समयावधि में ही प्रेषित करें ।

8– ग्राम स्तर पर नियुक्त पटवारी, ग्राम सेवक एवं ए.एन.एम. अध्यापक आदि कार्मिको को तारतम्या रखने हेतु पाबद करेंगे तथा किसी भी तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी, डाक्टर, चिकित्सा कार्मिकों को एवं गिरदावर, पटवारी तथा ग्राम सेवक को उपखण्ड अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति अवकाश/मुख्यालय त्यागने की स्वीकृति नही देंगे।

Scanned with CamScanner

9–उपखण्ड अधिकारी के स्तर पर प्राईवेट सामुदायिक भवनों, ठहराव, स्थलो, दानदाताओं, एन.जी.ओ. की सूची अभी से तैयार करवाई जाकर एक प्रति जिला कार्यालय को भिजवाई जावेगी जिससे आवश्यकता के दौरान इस सूची का उपयोग हो सकेगा ।

10–ग्राम पंचायत मुख्यालय स्तर पर नियुक्त कार्मिको को अपने पास आपदा के समय सहयोग करने वाले व्यक्तियो की सूची तैयार करने हेतु विकास अधिकारीगण उन्हें निर्देशित कर पावन्द करें ताकि उनसे भी समय सहयोग लिया जा सके। साथ ही आवश्यकता अनुसार रस्से 3–3 बडी टार्च, तगारी, फावडो की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

11–विकास अधिकारीगण अपने–अपने क्षेत्र में स्थित तालाबों/बांधों को चैक करवायेगें व आवश्यकता अनुसार मरम्मत का कार्य नियमानुसार करवाने की कार्यवाही करेगें।

12–तहसीलदारगण अपने–अपने क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा रखवाये गये रेत के कट्टो एवं खाली कटटों को पटवारी के माध्यम से चैक करवायेगें एवं तैराको की सूची तैयार करवायेगें। समाज सेवक/संस्थाओं/दानदाताओं की सूची तैयार की जावें ताकि आवश्यकता पडने पर उन्हें उपयोग में लिया जा सके।

13–नगर परिषद व नगर पालिका द्वारा की गई नाले नालियों की सफाई का पर्यवेक्षण तहसीलदार स्वंय कर रिपोर्ट भिजवायेगें।

14–अपने विभाग से संबंधित कार्यो की एक चैक–लिस्ट तैयार करवायेगें तथा उसमे प्रमाण–पत्र अंकित करेगे कि चैक लिस्ट में दी गई जानकारी सही है।

15–बैठक में उपस्थित विधायक महोदय जालोर के सुझाव पर जिले के नदी, नालों में खडी झाडियों के कारण पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न न हो, इसलिये जिले की सीमा में स्थित समस्त नदी व नालों का निरीक्षण करवाकर पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाली झाडियों को हटवाने हेतु आयुक्त नगर परिषद, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका व समस्त विकास अधिकारी पं.स. को निर्देश दिये गए। कार्य पूर्ण कर प्रमाण पत्र दिनांक 20 जून 2023 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

(19) जवाई बांध खण्ड सुमेरपुर :–

जवाई बाधं के जल भराव की पूर्ण जानकारी प्रतिदिन जिला स्तरीय नियन्त्रण कक्ष में उपलब्ध करवायेगें। जवाई बांध पर कार्यरत स्टाफ नियन्त्रण कक्ष प्रभारी व नियुक्त कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर सहित विवरण 20 जून 2023 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करेंगें।

(20) जन सम्पर्क अधिकारी :–

जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर बैठक में बाढ़/अतिवृष्टि के दौरान आम जनता को दी जाने वाली जानकारी जिला कलेक्टर महोदय से सही प्राप्त कर आम जनता को उपलब्ध करवायेंगे तथा आकाशवाणी के माध्यम से भी आपदा के संबंध में आम जनता को सूचना देंगे व जागरूक करेगें ताकि आम जनता में किसी प्रकार की आंशका एवं अफवाएं नही फेले तथा शहरी क्षेत्रों में लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से सही जानकारी देने के लिये आयुक्त नगर परिषद व अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिकाए,उपखण्ड अधिकारी से सम्पर्क कर व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

ततपश्चात् अधीक्षण अभियंता, जन स्वा.अभि.विभाग जालोर ने बताया किया उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदन होकर प्राप्त खण्ड भीनमाल के पेयजल परिवहन के बिलों के भुगतान हेतु बजट मांग के लिए बिलों का जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन एवं आपातकालीन स्थिति में तात्कालिक निर्णय लिया जाकर करवाये गये आपातकालीन पेयजल परिवहन के बिल अनुसार चिन्हित स्थानों का भी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन करवाने का निवेदन किया गया। प्राप्त/प्रस्तावित बिलों का इकजाई विवरण निम्नानुसार है :–

- **जन.स्वा.अभि.वि. खण्ड भीनमाल द्वारा प्रस्तावित बिलों का विवरण :–**

क्र.सं.	अवधि	फर्म का नाम	ग्राम पंचायत	राशि (रू.में)
1.	18.06.2022 से 12.07.2022 तक	मैसर्स राधे सप्लायर्स करड़ा	सावीदर	68150/–
2.	21.06.2022 से 13.07.2022 तक	ग्राम पंचायत सीकवाड़ा	सीकवाडा	96600/–
3.	30.04.2022 से 02.07.2022 तक	मैसर्स जम्भेश्वर कन्स्ट्रक्शन कंपनी अरणाय	भीनमाल शहर	60000/–
4.	11.06.2022 से 26.06.2022 तक	ग्राम पंचायत धानसा (नैन गिरी लाल गिरी)	धानसा	110580/–
5.	11.05.2022 से 10.07.2022 तक	ग्राम पंचायत पावली (मैसर्स दुदेश्वर कन्स्ट्रक्शन पहाडपुरा)	पावली	375200/–
			कुल राशि	**710530/–**

उपरोक्तनुसार बिलो का जिला आपदा प्रवन्धन प्राधिकरण बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन करते हुए नियमानुसार भुगतान हेतु आपातकालीन पेयजल परिवहन के उपखण्ड स्तरीय समिति से अनुमोदित विलो हेतु राशि 710530/–रूपये अक्षरे सात लाख दस हजार पांच सौ तीस रूपये की बजट मद 2245–01–102–11–04 उपमद 44 में ऑनलाईन बजट मांग करने व बजट प्राप्त होने पर जरिये पै–मैनेजर सम्बन्धित

Scanned with CamScanner

को नियमानुसार भुगतान करने पर सहमति प्रकट कर अनुमोदन करते हुए, आपातकालीन पेयजल परिवहन दर, चिन्हित स्थानों आदि का सर्वसम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

अतः अंत में सभी संबंधित विभागों को अपने–अपने विभाग का बाढ कंटीजेन्सी प्लान (मानसून वर्ष 2023) तैयार कर हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (ई–मेल feminsec@gmail.com) में तथा बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने की सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाने हेतु पाबंद करने के साथ ही बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अति.जिला कलेक्टर
जालोर

कमांकः प.10( ) आ.प्र.एवं सहा./बाढ/2021/1023-1109 दिनांकः– 14.06.2023

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ :–

1– शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2– संभागीय आयुक्त,जोधपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थः–

1– सांसद महोदय जालोर–सिरोही।
2– विधायक महोदय जालोर, आहोर, भीनमाल, सांचोर, रानीवाडा।

प्रतिलिपिः– निम्न को पालनार्थ प्रेषित हैः–

1– जिला पुलिस अधीक्षक,जालोर
2– अति. जिला कलक्टर, जालोर
3– उप वन संरक्षक, जालोर
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जालोर
5– मुख्य अभियन्ता नर्मदा नहर परियोजना सांचोर।
6– उपखण्ड अधिकारी, (समस्त)................................ जिला जालोर।
7– तहसीलदार/विकास अधिकारी, पंचायत समिति, (समस्त)................................ जिला जालोर।
8– जिला रसद अधिकारी, जालोर।
9– अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि./जन स्वा.अभि.वि./ जोविविनिलि. जालोर, भीनमाल, सांचोर।
10–जिला परिवहन अधिकारी, जालोर/भीनमाल।
11 –आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगर परिषद/पालिका,जालोर, भीनमाल, सांचोर।
12–अधीशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जालोर/जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर जिला पाली।
13–खनि अभियन्ता, जालोर/ उप निदेशक कृषि विस्तार, जालोर
14–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
15–संयुक्त निदेशक, पशु पालन विभाग जालोर।
16–मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर
17–उप नियन्त्रक नागरिक सुरक्षा जालोर।
18–कमाण्डेन्ट, होमगार्ड, जालोर।
19–एसटीओ, बी.एस.एन.एल. जालोर।
20–आगार प्रबन्धक, राज.राज्य पथ परिवहन निगम लि0जालोर।
21– प्राचार्य, वीर वीरमदेव राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय, जालोर/ राजकीय महिला महाविद्यालय जालोर।
22–कमाण्डेन्ट, एन.सी.सी. जालोर/ सी.ओ. स्काउट, जालोर
23–सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर
24–जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जालोर
25–सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालोर
26–अति. प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, जालोर
27–प्रभारी अधिकारी (भू0अ0/संस्थापन/पूल) कार्यालय हाजा।
28–प्रभारी नियन्त्रक कक्ष हैल्पलाईन, ई.ओ.सी कार्यालय हाजा।
29–अति. निजी सचिव, जिला कलक्टर महोदय, जालोर / निजी सहायक अति. जिला कलेक्टर जालोर।
30– ....

प्रभारी अधिकारी
(सहायता),जालोर

Scanned with CamScanner

अभाव संवत् 2078 के दौरान निजी टेंकरो से किये पेयजल परिवहन का पखवाड़ावार गणना व बजट मांग प्रपत्र

क्रं.स.	तहसील का नाम	उपखण्ड का नाम	PHED खण्ड	ग्राम पंचायत	ट्रेक्टर नम्बर	संवेदक का नाम	हाईड्रेट का नाम	पेयजल परिवहन अवधि	पेयजल परिवहन मात्रा (KL में)	पेयजल परिवहन दर	कुल ट्रिप	विपत्रानुसार राशि	शुद्ध भुगतान (बजट मांग)
1	भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल शहर	RJ46RB6011	मैसर्स जम्भेश्वर कन्स.कं. अरणाय	नीजी	30-04-2022 To 02-07-2022	4000	25	600	60000.00	60000.00
2	भीनमाल	भीनमाल	भीनमाल	सावीदर	RJ46RA6116	मैसर्स राधे सप्लायर्स करडा	नीजी	18-06-2022 To 12-07-2022	4000	25	681.5	68150.00	68150.00
3	जसंवतपुरा	जसंवतपुरा	भीनमाल	सिंकवाडा	RJ46RA4005	श्री वागसिंह पुत्र धोकसिंह जाति राजपूत (ग्राम पंचायत सिकवाडा)	नीजी	21-06-2022 To 13-07-2022	4000	25	552	55200.00	55200.00
4	जसंवतपुरा	जसंवतपुरा	भीनमाल	सिंकवाडा	RJ46RA8273	श्री रामाराम पुत्र कोनाजी जाति चौधरी (ग्राम पंचायत सिकवाडा)	नीजी	21-06-2022 To 13-07-2022	4000	25	414	41400.00	41400.00
5	जसंवतपुरा	जसंवतपुरा	भीनमाल	धानसा	RJ46RA4159	नैनगिरी पुत्र लालगिरी (ग्राम पंचायत धानसा)	नीजी	20-05-2022 To 10-06-2022	4000	25	484.2	48420.00	48420.00
6	जसंवतपुरा	जसंवतपुरा	भीनमाल	धानसा	RJ46RA4159	नैनगिरी पुत्र लालगिरी (ग्राम पंचायत धानसा)	नीजी	11-06-2022 To 28-06-2022	4000	25	621.6	62160.00	62160.00
7	जसंवतपुरा	जसंवतपुरा	भीनमाल	पावली	RJ46RB1708	मैसर्स दुदेश्वर कस्ट्रक्शन कम्पनी (ग्राम पंचायत पावली)	नीजी	11-05-2022 To 10-07-2022	4000	25	3752	375200.00	375200.00
											Total	710530.00	710530.00
											Round	710530.00	